88

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्ष
एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1907/एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.2012 पारित द्वारा– अपर कलेक्टर जिला रीवा– प्रकरण कमांक 85/निगरानी/11–12

.....

नंदकिशोर लोधी तनय स्व. श्री रामकिशोर लोधी
निवासी ग्राम चकरा चितौधा पो. खम्हरिया
तहसील नागौद जिला सतना

..... आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती इंदिया पत्नी स्व. श्री रामकिशोर लोधी निवासी ग्राम चकरा चितौधी पो. खम्हरिया तहसील नागौद जिला सतना

2– फूला पुत्री स्व. श्री रामकिशोर लोधी पत्नी श्री सियालाल लोधी, निवासी सेमरवारा, तहसील नागौद जिला सतना

3– गोपता पुत्री स्व. श्री रामकिशोर पत्नी श्री राकेश लोधी निवासी सेकरवारा तहसील नागौद जिला सतना

4– राजकुमार लोधी तनय स्व. श्री रामकिशोर लोधी निवासी ग्राम चकरा चितौधा तहसील नागौद जिला सतना

..... अनावेदकगण

.....

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0के0देव पांडेय)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जसराम सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 25-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 85/निगरानी/11–12 आदेश दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959, जिसे आगे संहिता कहा जाएगा, की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षेप यह है कि तहसीलदार नागौर के प्रकरण क्र. 30/अ27/09–10 में पारित बंटवारा नामांतरण आदेश दिनांक 07.12.09 के विरूद्ध अपील अनावेदकगण द्वारा दिनांक 09.08.10 को अनुविभागीय अधिकारी नागौद के न्यायालय में प्रस्तुत की। मृतक भूमिस्वामी के वारिसान पत्नी व पुत्रियां (अनावेदकगण) को तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 07.12.09 की सूचना समय पर न होने के कारण उनकी ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2011 के द्वारा समय सीमा में मानकर प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.05.12 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त की है। आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सतना के इसी आदेश सक परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष अभिभाषकगण के प्रकरण में तर्क सुने गये एवं उनके तर्कों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पूर्व भूमिस्वामी रामकिशोर का पुत्र है एवं अनावेदक 1 पत्नी व शेष अनावेदकगण भी भूमिस्वामी रामकिशोर की संतान है। उक्त अनुसार विचारण न्यायालय में सभी विधिक वारिसान को पक्षकार न बनाने व उन्हें सूचना न होने की दशा में जानकारी दिनांक 09.08.10 से समय–सीमा में अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2011 के द्वारा समय–सीमा में मान्य करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपर कलेक्टर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश को उचित मानने में कोई भूल नहीं की है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2011 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.12 उचित होने से यथावत रखे जाते हैं। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश ग्वालियर